"भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण आश्रय का अधिकार जीवन के अधिकार का एक आवश्यक घटक है"

"बेघर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना नगर निकायों का दायित्व है" जो राजस्थान म्युनिसिपेलिटी एक्ट, 2009(2009 के एक्ट 18) के सेक्शन 46 की धारा (iv)(c) का परिणाम है:

तथा

राष्ट्रीय शहरी आवास और आवास नीति, 2007 निर्दिष्ट करती है कि "शहरी स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरण/आवास बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि विकास योजनाएं/मास्टर प्लान के साथ–साथ क्षेत्रीय योजनाएं और स्थानीय क्षेत्र की योजनाए नियमित रूप से बनाई जाती है और इन्हें नियमित रूप से अपडेड किया जाता है ताकि बेघर के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जा सके।"

इसलिए, अब अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों को पूरा करने और डीबी सिविल रिट याचिक सं. 8663/13 में राज्य सरकार एतद द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बैंच) के आदेश/निर्देशों का अनुपालन करने में और शहरी बेघर व्यक्तियों के लिए आश्रयों के लिए उनके अधिकार और हकदारी के साथ प्रदान किए गए नीतियों को निम्नानुसार घोषित करते है:–

विज़न(Vision)

2021 तक राजस्थान राज्य में प्रत्येक निवासी को उम्र, लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्र के निरपेक्ष, चाहे अकेले या परिवार के साथ हो, एक उचित घर या एक उचित जगह पर आवास की पंहुच को सुनिश्चित किया जाए ताकि हर बेघर व्यक्ति गरिमामय जीवन जी सके ।

बेघर व्यक्ति के अस्तित्व, विकास, उन्नति, संरक्षण, भागीदारी ओर गरिमामय व भेदभाव मुक्त जीवन यापन हेतु एक सक्षम माहौल होगा।

शहरी बेघर हेतु राजस्थान राज्य की नीति, 2017
(प्रारूप)

सिद्धांत

1. राज्य सरकार शहरी बेघर जनसंख्या के संवैधानिक, वैधानिक ओर मानव अधिकारों का एहसास करने का इरादा रखती है और स्थायी आश्रयों का प्रावधान इस पहल में पहला कदम होगा।

2. शहरी अर्थव्यवस्था के लिए शहरी बेघर के योगदान को राज्य सरकार मान्यता देते है।
3. यह पहचानता है कि आश्रयों की कमी से भी पीने का पानी, शौचालयों, सुरक्षा इत्यादि तक पहुंच की कमी के साथ जिंदगी जीने का मतलब है।
4. राज्य सरकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में शहरी बेघर व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का इरादा रखती है।

1. इस नीति को शहरी बेघर हेतु राजस्थान राज्य नीति 2016 के रूप में बुलाया जा सकता है:–

(i) यह राजस्थान के सभी 190 यूएलबी (शहरों/कस्बों) में नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों पर लागू होगा।

(ii) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की मंजूरी मांगने के पश्चात यह प्रकाशन की तारीख से/उससे शुरू होगा।

2. परिभाषाः– इस नीति के उद्देश्य के लिए एक बेघर व्यक्ति वह है जिसका स्वयं का घर नही है या वह शहर में किराये पर एक घर नही रख सकता जहां वह आस्थित है औ,

(i) सड़को और फुटपाथ, बरामदा, खुले आसमानों के नीचे खुले हुए स्थानों, पार्को, रेल्वे स्टेशनों, बस स्टेण्डों, हयूम पाइपों में, पुल के नीचे और अन्य स्थानों पर रहता और सोता है;

(ii) पर्यटन स्थल पर या आसपास रहता है या वहां सोता है या सार्वजनिक स्थानों, थोक बाजारों, बाहर, निर्माण स्थल के समीप/अंदर/या बाहर, कारखानों, रेस्तरां, ढाबे दुकानों और कार्यालयां के अंदर या आसपास के स्थानों पर सोता है;

(iii) रिक्शा, गाडी (ठेला) या ऐसे अन्य आजीविका के साधनों पर सोता है;

(iv) निजी या सार्वजनिक भूमि पर निर्मित अस्थायी और अन्य सामान्य स्थानों पर रहता है; तथा

(v) स्थाई/अस्थायी आश्रय स्थलों में रहने वाले

3. बेघर की पहचान और उन्हें आश्रय प्रदान करनाः

(i) नोडल एजेंसी या तो स्वयं या स्थानीय निकायों के माध्यम से उचित स्वतंत्र एजेंसियों के जरिए नियमित आधार पर बेघर के सर्वेक्षण का आयोजन करेगी।

(ii) सर्वेक्षण आंकडों के आधार पर नोडल एजेंसी बेघर के प्रकार और प्रकृति को वर्गीकृत करेगी ओर टोपोग्राफी के आधार पर डे–एनयूएलएम के दिशा निर्देशों ओर हितधारकों के परामर्श के अनुसार समयबद्ध योजना में उपयुक्त आश्रय स्थलों तक पहुंच सुनिश्चित करेगी।

(iii) यह नियुक्त अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि सभी बेघर व्यक्तियों को उपयुक्त आश्रय स्थलों की उपलब्धता हो।

4. आश्रय स्थल के निर्धारण व सामर्थ्य:–

आश्रय स्थलों (शेल्टर होम्स) का प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि:

(i) बेघर व्यक्ति को किसी भी आधार पर आश्रय स्थल में प्रवेश से इनकार नही किया जायेगा,

(ii) आश्रय स्थलों में रहने वाले व्यक्तियों (रहवासियों) के विवरण इस प्रयोजन के लिए बनाये गये रजिस्टर में दर्ज किये जायेगे और

(iii) बेघर व्यक्तियों की अन्य (सामाजिक/आर्थिक) अधिकारों तक पहुंच और उनके पुनर्वास की सुनिश्चितता हेतु एस.एम.सी.(शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी) को आवश्यक ब्यौरे उपलब्ध कराये।

उपयुक्त एजेंसी शहरी बेघर के अधिकारों (एंटाइटेलमेंट) और पुनर्वास योजनाओं का निर्धारण करेगा।

5. परियोजना का क्रियान्वयन, निगरानी और समीक्षा

नोडल एजेंसी:

(i) स्वायत्त शासन विभाग इस उद्देश्य के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य में विशेष रूप से शहरी बेघर के मुद्दों के समाधान हेतु एक विशेष सेल की स्थापना करेगा। स्थानीय निकायों के निदेशालय (शहरी स्थानीय निकायों में शहरी बेघर कार्यक्रमों को समन्वय और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी होने के लिए अधिसूचित किया जाएगा और नियमों/विनियमों को जारी करेगा और स्थानीय निकायों के लिए दिशा निर्देश या दिशानिर्देश तैयार किये जाएंगे। बेघर और उनके पुनर्वास के लिए आश्रयों की स्थापना और प्रबंधन नोडल एजेंसी शहरी बेघर कार्यक्रम के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगी और नियमित रूप से समीक्षा, निगरानी और समय–समय पर रिपोर्ट तैयार करेगी और सरकार और राज्य स्तर की समिति को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।

(ii) निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक उचित तंत्र बनाने के लिए, निदेशालय ने प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय राज. सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय शेल्टर रिव्यू कमेटी (एस.एल.एस.आर.सी) का गठन किया है जो शहरी बेघर कार्यक्रम के प्रभावी अवधारणा, पर्यवेक्षण और निगरानी करेगी। राज्य में नीति और शहरी बेघर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एस.एल.एस.आर.सी. अर्धवार्षिक आधार पर बैठक करेगी।

नोडल एजेंसी की भूमिका और उत्तरदायित्व:

(i) निदेशालय स्थानीय निकाय नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। स्वायत्त शासन विभाग बेघर व्यक्तियों/परिवारों के लिए आश्रय स्थलों की स्थापना, उनके प्रबंधक व उनके पुनर्वसन के संबंध में नियम/विनियमों की रचना करेगा तथा स्थानीय निकायों को आदेश/दिशा–निर्देश बनाएगा/जारी करेगा।

(ii) स्थानीय निकाय विभाग इस प्रयोजन के लिए राज्य में शहरी बेघरों के मुद्दे से निपटने के लिए एक विशेष सेल की स्थापना करेगी।

(iii) इस प्रकार स्थापित विशेष सेल निम्न विषय वस्तु तैयार करेगा:–

(अ) एक व्यापक कानून, नियम/विनियमों तथा एक प्रभावी व समयबद्ध तरीके से आश्रय–विहीनों के अधिकारों (rights/entitlements) को सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल और

(ब) कम आय समूह आवास योजना या किफायती आवास योजनाओं में बेघरों के रहने के लिए आवास बोर्ड सहित आवास एवं शहरी विकास विभाग के परामर्श से उनके पुनर्वास के लिए कार्यक्रम।

(iv) (i) पॉलिसी के कार्यान्वयन की त्रैमासिक समीक्षा ;

(ii) शहरी बेघर लोगों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुँचाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय;

(iii) DAY-NILM के तहत नीति और बेघरों की योजना को लागू करने और बेघर लोगों के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट/ उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने और नगर निकायों को दिशा निर्देश जारी करना;

(iv) विशेष रूप से निराश्रित, कचरा बीनने वालों (RAg-pickers) शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य दरिद्र/जरूरतमन्द लोगो के उत्थान के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहे सहयोगी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से परामर्श करना व उनका सहयोग लेना;

(v) सुनिश्चित करे कि आश्रय घरों के प्रबंधन व संचालन के लिए नगर निकायों को समय पर धन आवंटित किया जाना।

इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी एक जिला स्तरीय शेल्टर रिव्यू कमेटी (डी.एल.एस.आर.सी.) जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की गई है जो शहरी बेघर हेतु कार्यक्रमों, आश्रयस्थलों की निरीक्षण रिपोर्ट शिकायतों सुझाव और विभिन्न स्त्रोंतो से प्राप्त प्रस्तावों की नियमित रूप से समीक्षा करेगी। डी.एल.एस.आर.सी. त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाएगी लेकिन शीत ऋतु में नम्बर से फरवरी तक हर महीने आयोजित की जाएगी।

6. उद्देश्य की पूर्ति :

(i) बेघर लोगों की पहचान और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना तथा उन प्रक्रियाओं/कारणों की पहचान करना जिनकी वजह से लोग बेघर होने पर मजबूर होते है व इन कारणों को समाधान करना;

(ii) राज्य में सतत आवास विकास को बढावा देना और किफायती दामों पर भूमि और आवासों की न्यायसंगत आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(iii) बेघरों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सतत आजीविका को बढावा देना।

(iv) बेघर लोगों के लिए रियायती दर पर आवास (affordable housing) के तहत पहली प्राथमिकता देते हुए उन्हें राज्य व वित्तीय संस्थानों के वित्तीय सहायता से आवास के लिए आसान ऋण के रूप में पुर्नभुगतान की किश्तों के साथ प्रदान करना।

(v) सभी श्रमिकों, सेवा प्रदाताओं प्रवासियों आदि के लिए औद्योगिक ओर/या विकास नीतियों में पर्याप्त आवास प्रावधानों को सुनिश्चित करना। इन्हें इस प्रकार लागू किया जाए कि उक्त लोग लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर सके।

(vi) यह सुनिश्चित करना कि औद्योगिक और अन्य विकास नीतियां इस प्रकार संरेखित/श्रेणीबद्ध और कार्यान्वित की जाए ताकि बेघरों को रोजगार के रूप में आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त हो।

(vii) उपर्युक्त उद्देश्य को आगे बढाने हेतु प्रारंभिक कदम के रूप मे:-

(अ) राज्य को DAY-NULM योजना और संचालन हेतु गाईड लाईन के अनुसार चिन्हित शहरी बेघर लोगों के लिए सभी लाभों के साथ स्थायी आश्रय घरों की स्थापना की जानी चाहिए।

(ब) सुनिश्चित करे कि ऐसे आश्रय स्थल बेघरों (रहवासियों) के कार्य स्थल पर/निकटता में स्थित हो तथा

(स) यह सुनिश्चित करे कि आश्रय स्थल की जगह सुरक्षित स्वच्छ और आरामदायक हो।

ये आश्रय घरों के सातत्य में पहला कदम है जो सभी के लिए स्थायी आवास और टिकाऊ आजीविका के लिए परिणामित होगा।

7. अंतराल में बेघर लोगों के लिए आश्रयों की स्थापना

(i) राज्य ऐसे स्थानीय निकायों को आश्रय स्थलों के स्थान प्रकृति और प्रकार के संबंध में और इसके संचालन व प्रबंधन हेतु एनयूएलएम के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्देश जारी करेगा। सभी नगर निकायों का बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थलों का प्रावधान कराना सांविधिक कर्त्तव्य है तथा वे संबंधित स्थानीय शहरी क्षेत्रों में निम्नानुसार न्यूनतम क्षेत्र पर्याप्त सुविधाओं साज सामान और आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धता सुनिश्चित करेगे:-

- आश्रय स्थल के कमरे/छात्रावास स्थायी प्रकार के हवादार और प्रत्येक निवासी के लिए 50 वर्गफुट के न्यूनतम क्षेत्र (पुरूष/महिला/दिव्यांग/परिवारों के लिए अलग अलग) के होगे;
- गैस/स्टोव और एलपीजी कनेक्शन के साथ सामान्य (सार्वजनिक) रसोई;
- शौचालय (पुरूष/महिला/दिव्यांग के लिए अलग)
- प्रकाश व्यवस्था;
- पीने और अन्य जरूरतों के लिए पानी ;
- कूलर/पंखे आदि;

- स्वच्छ बिस्तर (विधिवत साफ बिस्तर, रजाई/कंबल और तकिए के साथ);
- प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन उपकरण वेक्टर नियंत्रण (मच्छरों के लिए);
- निजी सामानों को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत लॉकर्स; तथा
- मनोरंजन हेतु सुविधाए।

(ii) संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः—

(अ) स्थानीय वार्ड पार्षद; (नगर पालिका के वार्ड सदस्य)

(ब) स्थानीय प्राधिकरण का अधिकारी; (एलडीसी के रैंक के नीचे नही)

(स) आश्रय गृह के प्रबंधक;

(द) आश्रय स्थल के दो प्रतिनिधियों (रहवासी, जिनमें से एक महिला होगी यदि उपलब्ध हो)

(iii) एसएमसी आश्रय स्थल की गतिविधियों की दैनिक (रोजमर्रा) तौर पर देखरेख और निगरानी करेगा। यह समिति एक माह में कम से कम दो बैठके आयोजित करेगी और इसके मिनटों (बैठक कार्यवाही) को रिकॉर्ड करेगी और इसकी एक प्रतिलिपि नगर निकाय को भेजी जाएगी।

(iv) नगर पालिका प्रत्येक आश्रय स्थल पर पूर्णकालिक (24 घण्टे) कर्मचारियों को तैनात करेगा:—

(अ) एक पूर्णकालिक प्रबंधक;

(ब) तीन देखभालकर्ता (केयर गिवर्स)— प्रत्येक 8 घण्टे के लिए एक;

इन कर्मचारियों को आश्रय स्थल पर सफाई की व्यवस्था के साथ साथ वहां अनुशासन बनाए रखने के अतिरिक्त आश्रय स्थल के दिन प्रतिदिन के रिकार्ड व हिसाब किताब रखना होगा। इन कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्रत्येक शहर (नगर निकाय) में आश्रय स्थल के संचालन व प्रबंधन (O&M) के मद में उपलब्ध राशि से देय होगा। DAY-NULM की गाईड लाईन के तहत निर्धारित बजट से अधिक व्यय होने की स्थिति में (उदाहरणार्थ अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता की स्थिति में, संबंधित नगर निकाय द्वारा स्वाधीनता/वेतन का भुगतान स्वतंत्र रूप से या राजकीय कोष/सहायता से करना होगा।

(v) आश्रय के कर्मचारी निम्नलिखित सात रजिस्टरों को बनाए रखेंगे :—

(अ) आश्रय स्थल की संपत्ति सूची पुस्तक,

(ब) दिन प्रतिदिन के व्यय और रसीदों की निगरानी के लिए लेखा रजिस्टर/नकद

(स) आश्रय स्थल प्रबंधन समिति की बैठक रजिस्टर

(द) आश्रय स्थल में रहने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति रजिस्टर

(य) कर्मियां की पंजिका, अर्थात आश्रय स्थल में काम कर रहे कर्मचारियों का रजिस्ट्रीकरण ;

(र) आश्रय स्थल के रखरखाव (आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था) हेतु रजिस्टर;

(ल) शिकायतें और सुझाव रजिस्टर

(vi) DAY-NULM के प्रबंधन के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति आश्रय स्थलों के क्रियान्वयन/संचालन की निगरानी और निरीक्षण करेगी। यह कार्यकारी समिति समुदाय के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज (Civil Society) के संगठन व संबंधित विभाग तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहायता ले सकती है।

(vii) आश्रय स्थल के संचालन की मासिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित नगर निकाय (ULB) द्वारा निदेशालय को दी जाएगी। स्थानीय निकायों द्वारा आश्रय गृह के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत/सुझाव पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा और इसे तीन दिनों के भीतर निपटाया जाकर उसका परिणाम संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जावेगा।

(viii) आश्रय स्थल का संचालन करने वाली प्रत्येक नगर निकाय को आश्रय स्थलों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का व्यापक प्रचार करेगी, जहां ऐसे आश्रय स्थित है, और ऐसी जगहों पर जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल जहां बेघर/लक्षित लाभार्थि अधिक संख्या में उपस्थित होते है, नगर निकाय द्वारा बड़े आकार के होर्डिंग स्थापित किए जायेंगे।

(ix) प्रदेश में स्थापित प्रत्येक आश्रय स्थल, जो किसी भी योजना या परियोजना के तहत निर्मित किया गया हो, का संचालन व प्रबंधन अब से (भविष्य में) इस नीति के अनुसार किया जएगा।

8. बेघर के पुर्नवास के लिए रणनीति

(i) पुर्नवास के कार्यक्रम इस प्रकार तैयार होंगे कि यह निम्न तक पहुंच सुनिश्चित करे :–

- आर.टी.ई.(शिक्षा का अधिकार), एन.एफ.एस.ए. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) जैसे कानूनों के तहत सामाजिक लाभ और पेंशन जैस अन्य लाभ।
- रियायती दरों पर स्वामित्व या किराये का आवास
- शिक्षा और कौशल विकास, और
- स्व–रोजगार सहित लाभदायक रोगजार

(ii) पहचान किए गए बेघर व्यक्तियों की आय के स्त्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए, प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास और आवश्यकता आधारित शिक्षा के कार्यक्रमों को सूत्रपात व संचालन किया जाएगा।

(iii) कौशल विकास और स्व–रोजगार व बेहतर कमाई के अवसरों को बढ़ाने के लिए, राज्य के विभागों द्वारा उचित बजट के प्रावधानों के साथ प्रभावी वित्तीय सहायता और बैंको से आसान ऋण द्वारा समर्थित आवश्यक परियोजनाएं शुरू की जा सकती है।

9. पर्याप्त निधिकरण (Funding)

राजस्थान राज्य, शहरी बेघरों हेतु विशिष्ट मद में अंतर्गत समेकित बजट प्रावधानों के तहत संबंधित विभागों को आवश्यक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा। बजट में एक विशिष्ट नया अवयव बनाया जाएगा। शहरी बेघर से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए एक विस्तृत बजट संबंधी प्रावधान होगा। संबंधित विभागों के लिए निधियों के आवंटन के लिए बजटीय मांगो को तैयार करना अनिवार्य होगा।

10. आश्रय स्थलों के रहवासियों की जिम्मेदारियां और आश्रय स्थल प्रबंधन समिति की भूमिका

(i) आश्रय स्थल सथापित करने के लिए बुनियादी ढांचे की पूंजीगत लागत केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और स्थानीय निकायों/अधिकारियों द्वारा इनका संचालन व रखरखाव किया जाएगा। आश्रय स्थल के निवासी की आय के आधार पर आश्रय गृह के प्रबंधन द्वारा 10% से लेकर 20% तक का शुल्क लिया जा सकता है। आश्रय गृह में सुविधाओं के रखरखाव पर उक्त राशि खर्च की जाएगी। जिनके पास पयाप्त आय नहीं है उन्हें ऐसे शुल्क से छूट मिल सकती है।

उपयोगकर्ता शुल्क केवल तभी लगाया जाएगा जब आश्रय स्थल धारा 7 (1) और 7 (4) के निर्दिष्ट सभी न्यूनतम सुविधाएं और कर्मचारियों (स्टाफ) प्रदान करता है तथा इसके साथ ही स्थान, प्रकृति और आश्रयों के प्रकार के संबंध में DAY-NULM दिशानिर्देशों को संतुष्ट करता है।

(ii) आश्रय स्थल में रह रहे बुजुर्ग, दुर्बल, विकलांग या निराश्रय व्यक्तियों को स्थानीय निकाय द्वारा भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त आश्रय स्थलों में निवास कर रहे अन्य व्यक्तियों के लिए भी सब्सिडी वाले भोजन की व्यवस्था की जा सकती है।

यह आश्रय स्थल के रहवासियों का, पंजीकरण के आधार पर, एक स्वैच्छिक व सहयोगी प्रयास होगा तथा इसके मानक और रूपरेखा आश्रय स्थल प्रबंधन समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्धारित की जाएगी। आश्रय स्थल प्रबंध समिति द्वारा इस संबंध में एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संगठन) और परोपकारी लोकोपकारी निकायों का समर्थन प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किया जा सकता है।

11. प्रशासनिक व्यवस्था का संवेदीकरण :

(i) DAY-NULM के तहत शहरी बेघरों के लिए शेल्टर होम की योजना (SUH) की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति पुलिस कर्मियों सहित जिले में प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बेघर लोगों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जिम्मेदार होगी।

(ii) अधिकारियों के अलावा, शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को बेघर व्यक्तियों की पहचान करने, उन्हें आश्रय स्थलों तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें विभिन्न लाभकारी योजनओं जिनके लिए व हकदार हैं के साथ जोड़ने के लिए, विशेष प्रयास करने में विशेष भूमिका होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव